an>

Title:Need to regulate the private coaching/tution centres in the country.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) ः देश में प्राइवेट ट्यूशन संस्थान/क्लास चलाने वालों की मनमानी चल रही है तथा विद्यार्थियों से मनमानी ट्यूशन फीस 1,25,000/- से 2,50,000/- तक ले रहे हैं और संचालक कुछ किए बिना ही मालामाल हो रहे हैं। इसका बोझ गरीब परिवार के विद्यार्थियों पर बढ़ता जा रहा है।

स्कूलों/महाविद्यालयों की प्राइवेट ट्यूशन संस्थानों/क्लासों के संचालकों की सॉठ-गॉठ होती है तथा शिक्षक विद्यार्थियों को ट्यूशन लगाने की सलाह देते हैं। ट्यूशन क्लासों में परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को पढ़ाया जाता है। इस वजह से विद्यार्थियों में गुणवत्ता का अभाव होता है। ऐसे विद्यार्थी अपना भविÂय कैसे बना सकते हैं? देश में अवैध रूप से चल रहे ट्यूशन संस्थान/क्लास पर अंकुश लगाने वाला कोई भी बोर्ड न होने के कारण गली-गली में ट्यूशन क्लास/संस्थान खुल रहे हैं जिनका लेखा-जोखा किसी के पास नहीं है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ट्यूशन संस्थानों/क्लासों का पंजीकरण, फीस निर्धारण, उनके लिए नियमावली और निरीक्षण होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बोर्ड का गठन किया जाए जिससे उन पर बोर्ड का नियंत्रण रहेगा और मनमाने तरीके से वूसली जा रही ट्यूशन फीस पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी।